परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस

दिनांक

23-05-2025

प्रेस विज्ञप्ति

- **मण्डलायुक्त व डीआईजी बस्ती द्वारा अधिकारीगण के साथ नेपाल बार्डर बढनी व खुनुवा का किया गया भ्रमण।**
- **बढनी एसएसबी कैंप में अधिकारियों के साथ की गयी गोष्ठी।**
- **संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।**

आज दिनांक 23.05.2025 को श्री अखिलेश कुमार सिंह मण्डलायुक्त बस्ती व श्री दिनेश कुमार पी. पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा डा0 राजा गणपति आर0 जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, डा0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, कमाण्डेंट एसएसबी श्री उज्जवल दत्ता,आईबी, कस्टम व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एसएसबी कैम्प बढ़नी में भारत - नेपाल सीमा पर अवैध अतिक्रमण, मानव तस्करी, संदिग्ध व्यक्तियों, नशीली दवाओं/अवैध शराब आदि की तस्करी व सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु गोष्ठी किया गया तथा बढनी व खुनवा अंतर्राष्ट्रीय बार्डर का भ्रमण किया गया।

मण्डलायुक्त व डीआईजी बस्ती द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये -

(1)- अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के अन्दर अवैध अतिक्रमण व्यक्तियों का डाटा तैयार कर अवैध अतिक्रमण /निर्माण को हटवाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

(2)- नव धनाढ्य व्यक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी की जाये जैसे उनके द्वारा क्या व्यापार किया जा रहा है ,उनके आय का स्रोत क्या है आदि।

(3)- भारत- नेपाल सीमा पर आवासित ऐसे व्यक्ति जिनके पास दोहरी नागरिकता है, के संबंध में विस्तृत जानकारी कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(4)- घर ,दुकान, मकान आदि जितने नव निर्माण कार्य बार्डर पर किया जा रहा है / करना है , उक्त के संबंध में जांच कर यह सुनिश्चित कर ले कि निर्माण वैध है या अवैध। नव निर्माण हेतु संबंधित द्वारा अनुमति लेने /संज्ञानित करने की व्यवस्था किया जाये। अवैध निर्माण किसी भी दशा में न होने दिया जाये।

(5)- अनाज, खाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें निरंतर प्राप्त होती रहती है। एसएसबी, कस्टम ,पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से अभियान चलाकर चेकिंग किया जाये। तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर प्रभावी अंकुश लगाया जाये।

(6)- शासन की मंशा के अनुरूप “आपरेशन कवच” के तहत भारत- नेपाल सीमा के 15 किमी0 के अन्दर गठित "ग्राम सुरक्षा समिति का पुनर्गठन कर उसमें पुलिस, राजस्व, आर्मी आदि विभागों के सेवानिवृत्त व्यक्तियो को भी रखा जाये।

(7)- विगत 15 वर्षों में मादक पदार्थ, शराब, कस्टम ,गो तस्करी, FICN(FAKE INDIAN CURRENCY NOTE), सोना/चांदी तस्करी आदि से संबंधित समस्त मुकदमों के अभियुक्तों की सूची तैयार कर सत्यापन किया जाये तथा सक्रिय अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। वर्तमान समय में अभियुक्तो की स्थिति क्या है, आय का स्रोत क्या है , कितने अभ्यस्त अपराधी है, कितने खाद के लाइसेंस निरस्त किये गये की जानकारी की जाये तथा उक्त कार्य हेतु क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

(8)- नेपाल से भारत आने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग किया जाये, बिना वैध कागजात के प्रवेश न दिया जाये।

(9)- नाकाबंदी हेतु चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाये जिसका बैकप कम से कम 01 माह का हो जिससे जरुरत पड़ने पर उसका सदुपयोग किया जा सके। जिसका डिस्प्ले थाना और चौकी में हो।

(10)- बार्डर एरिया में स्थापित पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरें, बैठने की व्यवस्था आदि के साथ आधुनिकीकरण किया जाये।

(11)- अवैध अतिक्रमण को लेकर उ0प्र0 शासन व भारत सरकार बहुत गंभीर है उस संबंध में जारी निर्देशों का पालन कराया जाये व लोगों को प्रोत्साहित कर अवैध अतिक्रमण हटवाया जाये।

(12)- अगले वर्ष ग्राम पंचायत के चुनाव के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाये।

(13)- एलआईयू अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें , सूचनाओं का संकलन कर उच्चाधिकारीगण को समय समय पर अवगत कराते रहें।

इस दौरान प्रशांत कुमार अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर, सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहतरतगढ, निरीक्षक अभिसूचना इकाई ,प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, कस्टम, आईबी, एस0एस0बी0 के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहें।

सोशल मीडिया सेल

रेंज कार्यालय, बस्ती।